तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 492/2024 अनवान भेराराम बनाम खेताराम वगैराह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
05/09/24	**आदेश** पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 के तहत प्रस्तुत किया है, जिसमे प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। वकील प्रार्थी का कथन है कि मौजा कालानाडा पटवार हल्का झाक तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 647/468 रकबा 16.1234 हैक्टेयर भूमि आई हुई है, जो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के कब्जा काश्त की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की है। उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 03 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का आया हुआ है। उपर्युक्त वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने और विधिवत बंटवाड़ा नहीं होने के कारण सेढों को लेकर आपस में विवाद रहता है। अप्रार्थीगण वर्तमान में भूमि की कीमतों में वृद्धि होने के कारण तथा संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि का फायदा उठाकर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर अन्य को बेचान करने पर उतारू है। इस कारण प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य तनाव की स्थिति बनी रहती है, यदि अप्रार्थीगण, प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर भूमि का बेचान करने में सफल होते हैं तो प्रार्थी को अपूरर्णीय क्षति होगी। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है तथा अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। लिहाजा प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक इस आशय की जारी की जाये कि अप्रार्थीगण मौजा कालानाडा पटवार हल्का झाक तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 647/468 रकबा 16.1234 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें न ही अपने हिस्से की भूमि का बेचान करें तथा मौके पर यथास्थिति वाद के निर्णय तक बनाये रखें। वकील अप्रार्थी संख्या 02 से 03 ने बहस कर निवेदन किया कि प्रार्थी केवल मनगंढत तथ्यों पर वाद प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही की	
सहायक कलक्टर (SDO), बाड़मेर		

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:34:07 IST
Reason: SelfAttested

जा रही है। प्रार्थी, अप्रार्थीगण की भूमि में जबरन दखलन्दाजी करने पर उतारू है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन निराधार होने से खारिज योग्य है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का भी अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकनपरान्त न्यायालय को प्रथम दृष्टया इस बात की सन्तुष्टी है कि वादग्रस्त भूमि अविभाजित भूमि होने से बिना विधिवत बंटवाड़ा करवाये उभय पक्ष वादग्रस्त भूमि का बेचान करवाते है तो विवाद उत्पन्न होगा तथा मौके पर उभय पक्षों के मध्य विवाद की स्थिति है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण को स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री की पालना तक उभय पक्षों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः स्थाई निषेधाज्ञा उभय पक्षकारान के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा कालानाडा पटवार हल्का झाक तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 647/468 रकबा 16.1234 हैक्टेयर भूमि में मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

सहायक कलक्टर

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:34:07 IST
Reason: SelfAttested